न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
राजेन्द्र कुमार बनाम हरनाम वगै

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.10.2024	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः उभयपक्ष (प्रार्थी,अप्रार्थीगण) को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.11.2024 तक इस अमर से पावन्द किया जाता है कि उभयपक्ष आराजी हाल ख0 नं0 819 रकवा 0.1500हे0 वाके ग्राम घासोली तहसील किशनगढबास पर विवादित आराजी पर मौका की यथास्थिति बनाये रखें। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी.तलवाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 05.11.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(खैरथल–तिजारा)	
5/11/24	वकील प्रार्थी उप० वास्ते इंतजार तलबी पत्रावली दिनांक 24/12/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

24/12/24 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि उप. आयन्दा दिनांक 11/02/25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

11-2-25 पत्रावली मुल्वाद के साथ पेश हुई। प्रार्थी /वादी का वाद मुल्वाद अदम हाजरी अदम पेरवी मे खारिज हो चुका है। प्रार्थना पत्र भी अदम हाजरी अदम पैरवी मे हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र नसैत शुमार होकर संलग्न मुल्वाद हो। (हस्ताक्षर)